



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 16 जुलाई, 2025 / 25 आषाढ़, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 5 जुलाई, 2025

संख्या: पी.सी.एच.-एच.ए. (1)3/2024-11668-74.—क्योंकि विभाग में, जिला काँगड़ा का निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन हस्त प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं।

80-राजपत्र / 2025-16-07-2025

(3885)

अतः हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतहुए जिला काँगड़ा का ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करनेका प्रस्ताव करते हैं। और तथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करनेका लिए राज्य सरकार का ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला सोलन का काँगड़ा को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करनेका लिए प्राधिकृत करनेका आदेश दत्त है।

अदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन का सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह अपना आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना का जारी होने का दिनांक साप्ताहिक (7) दिनों की अवधि का भीतर उपायुक्त जिला काँगड़ा को प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त निम्न अवधि का अवसान का पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे।

राज्य सरकार, जिला काँगड़ा का निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन द्वारा अन्तिम अधिसूचना इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला काँगड़ा की सिफारिश का दृष्टिगत जारी करती है।

अनुसूची

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों / ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम व मुख्यावास जिनमें कोष्ठ सं०-4 में वर्णित ग्राम / ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
विकास खंड सुराणी						
1.	दरंग	1. दरंग (आंशिक) 2. वख्ती	1. दरंग (आंशिक) 2. वख्ती	वख्ती	1. दरंग (आंशिक) 2. वख्ती 3. भद्रहवा 4. खखा	ग्राम सभा दरंग का शेष क्षेत्र हवा ग्राम सभा "वख्ती" प्रस्तावित है
2.	सिहोरपाई	1. जज्बार 2. नगरोटा 3. मत्याल 4. भद्रहवा 5. खखा 6. रतीपाल 7. वनचलिपां 8. सिहोरपाई	1. भद्रहवा 2. खखा			ग्राम सभा "सिहोरपाई" का कोष्ठ संख्या - 4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 का शेष ग्राम, ग्राम सभा "सिहोरपाई" में रहेंगा
3.	छिलगा	1. अमकन 2. चण्म्बू 3. छिलगा 4. दधुरु	1. अमकन 2. दधुरु	अमकन	1. अमकन 2. दधुरु 3. टिपनाला 4. थपा	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम सभा छिलगा का शेष ग्राम, ग्राम सभा "घरना"

					5 ढदहड़	में सम्मिलित किण्व जानव प्रस्तावित हैं तथा खुन्डिण्व का शष्व ग्राम निम्न प्रस्तावित ग्राम सभा सिल्कराल में रहेंगव
4.	खुन्डिण्व	1. अम्बाण्व 2. कुटाहण 3. कराल 4. किहड़ी 5. झलौट 6. टिपनाला 7. भटलाहपू 8. सिल्ह	1. टिपनाला			
5.	घरना	1. घरना 2. जमुली 3. दिगलहण 4. थण्व 5. पलिण्वर 6. ढदहड़ 7. रोपा 8. लिहास	1. थण्व 2. ढदहड़			कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर शष्व ग्राम पंचाण्वत “घरना” में रहेंगव
6.	छिलगा	1. अमकन 2. चण्वम्बू 3. छिलगा 4. दधुरु	1. चण्वम्बू 2. छिलगा	घरना	1. घरना 2. जमुली 3. दिगलहण 4. पलिण्वर 5. रोपा 6. लिहास 7. चण्वम्बू 8. छिलगा	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम ग्राम पंचाण्वत “घरना” में शामिल होंगव तथा शष्व ग्राम पहलवही ग्राम सभा छिलगा का स्थान पर अमकन ग्राम सभा में सम्मिलित किण्वजानव प्रस्तावित हैं।
7.	खुन्डिण्व	1. अम्बाण्व 2. कुटाहण 3. कराल 4. किहड़ी 5. झलौट 6. सिल्ह 7. भटलाहपू	1. अम्बाण्व 2. कुटाहण 3. कराल 4. किहड़ी 5. झलौट 6. सिल्ह 7. भटलाहपू	सिल्ह- कराल	1. अम्बाण्व 2. कुटाहण 3. कराल 4. किहड़ी 5. झलौट 6. सिल्ह 7. भटलाहपू 8. भटवाल 9. मतहड़ 10. रोहल	कोष्ठ संख्या – 4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या – 3 का शष्व ग्राम , ग्राम सभा “दहुरु” में रहेंगव
8.	दहुरु	1. खरमूण 2. छिण्व 3. ढफलूं 4. दहुरु 5. धार 6. भटलाहपू 7. भटवाल	1. भटवाल 2. मतहड़ 3. रोहल			

		8. मंगतहड़				
		9. मझलाहड़				
		10. मतहड़				
		11. रोहल				
		12. लाहड़				

आदशा द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला-171 009, 5 जुलाई, 2025

संख्या: पीसीएच-एचए (3) 17/06-III-11891-96.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA (1) 3/2024- 7295-7304, दिनांक- 17-06-2025 जिसका अंतर्गत जिला कांगड़ा का ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया हटाने/वर्णित अनुसूची में आंशिक संशोधन करत हुए विकास खण्ड सुराणी का ग्राम सभा क्षेत्रों को निम्न प्रकार संप्रदा जाए।

अनुसूची

क्र.सं.	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों / ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या- 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम।	ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
विकास खंड सुराणी						
1.	गाहलिगां	1. गाहलिगां 2. चकण पोरु 3. जठमां 4. पल्ला 5. भगौ 6. रकवाल लाहड़	1. जठमां	घलौर	1. रजोल पलाई 2. चरपू 3. पलाई 4. रोहाड़ा 5. पाहना कलां 6. घलौरखास 7. दरोली 8. सासन 9. घलौर उपरला 10. पल्लिगां 11. कसली 12. कुम्मकर	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या 3 का शेष ग्राम, ग्रामसभा “गाहलिगां” में रहेंगा

					13. जठमां	
2.	जखोटा	1. गुखड़ 2. जखोटा 3. पिगार 4. पोहन खालसा 5. पोहन जगीर 6. सासन 7. ढंगहड़ 8. ढल्ला	1. पिगार	घुरकाल	1. ढाग 2. अम्बोट 3. घुरकाल 4. भोली कुटिपारा 5. ढल्ली 6. पिगार	कोष्ट संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ट संख्या 3 का शेष ग्राम, ग्राम सभा “जखोटा” में रहेगा
3.	गुम्मर	1. गुम्मर 2. चकण कालीधार 3. रिजर्व जंगल काली धार	1. चकण कालीधार	ढाग	1. मतखली 2. कोका 3. नाहली 4. ढग्गी 5. मझा 6. ढाटी 7. ढाटी परमाला 8. गहल 9. जढाड़ 10. चकण कालीधार	कोष्ट संख्या – 4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ट संख्या 3 का शेष ग्राम, ग्राम सभा “गुम्मर” में रहेगा
4.	उम्मर	1. उम्मर 2. ढनी गुजरां 3. शांतला 4. हटली 5. ढोल	1. हटली 2. शांतला	गुम्मर	1. गुम्मर 2. रिजर्व जंगल काली धार 3. हटली 4. शांतला	कोष्ट संख्या – 4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ट संख्या 3 का शेष ग्राम, ग्राम सभा “उम्मर” में रहेगा

आदशा द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—171 009, 5 जुलाई, 2025

संख्या: पी सी एच-एचए (1)3/2024-11654-60.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)3/2024-6529-40, दिनांक 28-05-2025 का अन्तर्गत, जिला हमीरपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला हमीरपुर

को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने का उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने का लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि का भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन सम्बन्धित निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों का अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों का निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं०-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण।
विकास खंड नादौन:						
1.	जलाड़ी	1. सुह 2. गदिगाड़ा 3. जलाड़ी सौखला 4. जलाड़ी मण्डिरा 5. होड़ 6. जजोली 7. कल्लर 8. मटवाड़ 9. पटटा 10. रिठोली उपरली 11. रिठोली झिकली 12. हरमंदिर मण्डिराला 13. हरमंदिर रूकवाला	1. रिठोली उपली 2. मटवाड़	कोटला चिल्लिया	1. दलोहल 2. नधुन 3. पखी 4. कोटला 5. जंगलखोहर 6. मण्डिराल 7. रीत 8. चनवान 9. फटहल 10. मिर्च 11. सिठोली 12. रिठोली उपरली 13. मटवाड़	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 का शेष ग्राम, ग्राम सभा 'जलाड़ी' में रहेंगे।
2.			3. सूह 4. गदिगाड़ा	तिल्लू	1. पखी 2. तिल्लू प्रथम 3. तिल्लू खास 4. पीपीएफ तिल्लू 5. तिल्लू-1 6. सूह 7. गदिगाड़ा	

विकास खंड भोरंज:						
3.	नन्हन	1. सऊ 2. कोटलू 3. नन्हन 4. रूथानी 5. पलह 6. कसठाणा 7. पलोखर	कसठाणा	करहा	1. पंठतहणी 2. जूझानी 3. पुठवी अग्रिहोत्रिठा 4. पुठवी पाधठां 5. पुठवी टानगरिठां 6. करह 7. कसठाणा	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 का शेष ग्राम, ग्राम सभा 'नन्हन' में रहेगा

आदष्टा द्वारा,

सचिव (पंचाथती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—171 009, 5 जुलाई, 2025

संख्या: पी सी एच-एचए (1)3/2024-11661-67.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)3/2024-5708-57021, दिनांक 09-05-2025 का अन्तर्गत, जिला शिमला में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करनेका प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों साक्षात् एवं सुझाव आमंत्रित किए गए तथा उपायुक्त, जिला शिमला को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करनेऔर उन पर विचार करनेका उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करनेका लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि का भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश का राज्य पाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतेहुए, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन सम्बन्धित निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करनेका सहर्ष आदेश प्रदान करतेहैं। इन आदेशों का अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों का निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

क्र.सं.	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों /ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम / ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
---------	--	---	--	---	---	-------

विकास खंड चौपाल:						
3.	कुताह	1. कुताह 2. सपाच 3. गौरात 4. भरमाणा 5. सनणू 6. औली 7. कोटांगण	1. औली	मुण्डली	1. मण्डोचली 2. मुण्डली 3. क्यारी 4. नावी 5. औली	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 का शेष ग्राम, ग्राम सभा “कुताह” में रहेंगा

आदशा द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 5 जुलाई, 2025

संख्या: पी सी एच-एचए (1)3/2024-11675-85.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)3/2024-5737-61, दिनांक 09-05-2025 का अन्तर्गत, जिला सोलन में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों साक्षात् एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सोलन को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करना और उन पर विचार करना का उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करना का लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि का भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश का राज्य पाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन सम्बन्धित उपरोक्त अनुसार जारी अधिसूचना में वर्णित ग्राम सभा क्वारंग की प्रस्तावना को निरस्त करने तथा निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों का अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों का निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

क्र. सं.	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
----------	---	---	--	---	---	-------

1. विकास खण्ड कण्डाघाट:						
1.	कोट	1. चुंड 2. बनोटा 3. टिक्कर 4. बाडेवला 5. कदौर 6. आंजी ब्रहमना 7. रूगटा 8. कोटला 9. मकलयाना 10. लछोग 11. नाल का गांव 12. गनरोडी 13. काथली 14. बोधन 15. शुलानी 16. कोट 17. कटोह	1. नाल का गांव 2. कटोह 3. काथली	वाकना	1. गरू 2. चियामा 3. कश्मारी 4. आंजीसुनारण 5. राछना 6. वाकना 7. नाल का गांव 8. कटोह 9. काथली	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'कोट' में रहेंगे।
2. विकास खण्ड पट्टा						
2.	दाड़वा	1. कन्दरयाड़ 2. कामली 3. खान्नाड 4. खेची 5. खेरटू घाट 6. च्याली 7. जतरोग 8. डलियां 9. डूह 10. ढांगरी की सेर 11. ढाब 12. तरंगाला 13. तिमली 14. दघोटा 15. दाडत 16. दाडवा 17. धार 18. धार जोखड़ी 19. धौला 20. बनलगी 21. बरला 22. बरोड 23. बागी 24. बेपड़ 25. भीवा 26. मरहेटा 27. रौड़ी 28. शन 29. शावली बाग 30. सालन 31. सुनाणी	1. ढांगरी की सेर	चंडी	1. बोडती ब्राहमणा 2. बोडती कनैता 3. कोटला 4. हरथ 5. थाना 6. चंडी 7. जंगल चंडी 8. नथाल 9. लगोग 10. हाड़ा चड़यार 11. सरयाला 12. बाओटड़ा 13. धार गुहाग 14. ढांगरी की सेर	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'दाड़वा' में रहेंगे।
3.	सौडी	1. अभरनी 2. अलेटा	1. अलेटा 2. बैहकनेता	कैन्डोल	1. धार धनयॉन 2. तुझार	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को

		3. अम्बका 4. बैहकनेता 5. बैह कोलियां 6. धारकोलियां 7. धौलघाट 8. कौंडी 9. माजरी 10. मलगन 11. मंडी 12. नवानगर 13. फला 14. रत्तनगढ़ 15. सौडी 16. ततोआ 17. गोरखनाथ 18. छालौ देवाली 19. जसुआना 20. जंगल दसौरा 21. दसौरा 22. जंगल अम्बका 23. जंगल धर्मपुर 24. जंगल चम्पाडी 25. जंगल रेतवाली 26. जंगल कोटला	3. मंडी 4. जंगल दसौरा 5. अम्बका 6. जसुआना		3. ठेड़पुरा 4. धनयोन 5. पिपल्टा 6. धरोआ 7. धमरोट 8. कैन्दोल 9. रूगी भोगपुर 10. सेरला ब्रहमणा 11. सेरला कनैता 12. घाट 13. अलेटा 14. अम्बका 15. बैहकनेता 16. मंडी 17. जसुआना 18. जंगल दसौरा	छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'सौडी' में रहेंगे।
3. विकास खण्ड नालागढ़:						
4.	चमदार	1. सवासन 2. चमदार 3. ननोवा 4. कियारी 5. बिटठन 6. चंगर घुमारा 7. बाल 8. निसल 9. निहारी 10. मन्लोग खर्द 11. घाट 12. दल्लाम्ब 13. पटटा 14. रौडी 15. कटटल 16. जगेड	1. कियारी	चिल्लड	1. खावडा 2. चिल्लड 3. पुनेला 4. भकुंगी 5. लुना 6. जंगल लुणा 7. कियारी	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'चमदार' में रहेंगे
4. विकास खण्ड धर्मपुर:						
5.	गुलहाडी	1. छटेरा 2. गहर 3. जिंदो 4. शांगुली 5. खर्द 6. शांगुली कलां 7. घडयाना 8. जुन्ती 9. टियूरी 10. शिल्ली कलां 11. शिल्ली खुर्द 12. गुल्हाडी	1. ठां 2. दमूडी 3. भाल्लों 4. बमनोल	कोटला	1. काहनों 2. आंजी चमारा 3. धिहाडी 4. क्यार 5. कोटला 6. बशोलु खुर्द 7. बशोलु कलां 8. ब्राहमणा 9. शाई 10. बारड 11. कादों 12. ठां	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'गुलहाडी' में रहेंगे।

		13. थड़े का ठाकुर द्वारा 14. ठां 15. दमूडी 16. दांवला खुर्द 17. दांवला कलां 18. भाल्लों 19. बमनोल 20. घाट की बेड़			13. दमूडी 14. भाल्लों 15. बमनोल	
5. विकास खण्ड कुनिहार:						
6.	हनुमान बड़ोग	1. मनलोग बड़ोग 2. बड़ोग हनुमान 3. नावां 4. मधोवटी 5. डम्लाना बाला 6. डम्लाना जेरी 7. जंगल मनलोग 8. बटेड़ 9. मानन 10. रणोह शासन 11. रणोह खालसा 12. गंदेबटा 13. बहल 14. रिहाल 15. कोटला	1. बटेड़ 2. रिहाल	धुन्धन	1. धुन्धन 2. दावं 3. चमाकडी 4. डुगनु 5. डूगनिहार 6. ध्याणा 7. म्याना 8. पत्यानी 9. गोहर 10. स्यारी 11. पसलवाला 12. पसलजेरी 13. बैमुभलेड़ा 14. बैमुभागड़ा 15. घुरदुरी 16. एर 17. दुयूरु 18. बटेड़ 19. रिहाल	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'हनुमान बड़ोग' में रहेंगे।

आदशा द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 5 जुलाई, 2025

संख्या: पी सी एच-एचए (1)3/2024-11686-94.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)3/2024-5691-5707, दिनांक 09-05-2025 का अन्तर्गत, जिला हमीरपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला हमीरपुर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने का उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने का लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि का भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश का राज्य पाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन संसम्बन्धित उपरोक्त अनुसार जारी अधिसूचना में वर्णित ग्राम सभा नन्धन की प्रस्तावना को निरस्त करने तथा निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों का अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों का निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

क्र.सं.	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
1. विकास खण्ड नादौन:						
1.	हथोल	1. बलोह 2. साई 3. हथोलखास 4. सलोह	1. बलोह	बदारन	1. बदारन 2. खुडियाणा 3. टंग 4. खमरेड 5. जसोह 6. भड़ोली भरमौर 7. बलोह	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'हथोल' में रहेंगे।
2.	बर्घियाड	1. तरंगवाल 2. लोहारडा 3. पलयाल 4. रतियां 5. जटगहरा 6. बर्घियाड 7. डोल 8. दुलेट 9. भगवानी 10. सासन 11. बाड़ी	1. तरंगवाल	सपड़ोह	1. लाहड़ 2. जटयाला 3. कारटी 4. मनसौली 5. सासन रैथन 6. मढूं 7. जंगल 8. धमाधर 9. धनपुर 10. गरिमाली 11. तरंगवाल	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेषग्राम, ग्राम सभा 'बर्घियाड' में रहेंगे।
2. विकास खण्ड बिझड़ी:						
3.	पाहलू	1. पाहलू (पोरला) 2. काथला 3. बैरी 4. बधाण 5. बल्ह भट्टां 6. छेक 7. पाहलू	1. छेक	करेर	1. घनसूई 2. झिरालड़ी 3. ढकावा 4. बाहल 5. गलौह 6. छेक 7. सालन 8. करेर 9. खंगालता 10. सलोणी 11. पंजारड	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'पाहल' में रहेंगे।

3. विकास खण्ड भोरजः						
4.	लगमनवी	1. धुमारवी 2. बडियाणा लबाणा 3. बडियाणा मन्हासा 4. बडिया णामेन 5. वन बडियाणा 6. लग 7. मन्वी	1. बडियाणा लबाणा 2. बडियाणा मन्हासा 3. बडियाणा मेन 4. वन बडियाणा	टिक्करी मिन्हासा	1. टिक्करी मिन्हासां 2. पिदडता 3. संगरवाड 4. खतरवाड 5. बडियाणा लबाणा 6. बडियाणा मन्हासा 7. बडियाणा मेन 8. वन बडियाणा	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'मन्वी' में रहेंगे।

आदष्टा द्वारा,

सचिव (पंचावती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 7 जुलाई, 2025

संख्या: पी सी एच-एचए (1)3/2024-11939-46.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1) 3/2024-11654-60, दिनांक 05-07-2025 जिसका अंतर्गत जिला हमीरपुर, विकास खंड नादौन की ग्राम सभा जलाड़ी, कोटला चिल्लिपाँ, टिल्लू नंधन व कराह का पुनर्गठन किया गया हए कार्यक्रम संख्या 2 पर अंकित ग्राम सभा जलाड़ी व टिल्लू का पुनर्गठन को प्रशासनिक दृष्टि सत्वापिस (Withdraw) करनका आदष्टा प्रदान किया जातहै । उक्त आदष्टा का फलस्वरूप ग्राम सूह व गादिपापा ग्राम सभा जलाड़ी में पावत रहेंगा

आदष्टा द्वारा,

सचिव (पंचावती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 8 जुलाई, 2025

संख्या: पी.सी.एच.-एच.ए. (1)3/2024-11494-56.—क्योंकि विभाग में, जिला सोलन का निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन हतु प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचावती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतहुए जिला सोलन का ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूचि में दिया गया हएको निम्नानुसार पुनर्गठित करनका प्रस्ताव करतहैं. और पा अपक्षित

सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार का ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला सोलन का उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश दत्त है।

अदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हो तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना का जारी होने के दिनांक सप्ताह (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त जिला सोलन को प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त निम्न अवधि का अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे।

राज्य सरकार, जिला सोलन का निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन के अन्तिम अधिसूचना इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सोलन की सिफारिश का दृष्टिगत जारी करणी।

अनुसूची

क्र.सं.	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों / ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम / ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
विकास खंड पट्टा व नालागढ़:						
5.	थाना	1. थाना 2. धर्मपुर	धर्मपुर (आंशिक) धर्मपुर व भूपनगर हदबस्त नं.-193)	भटौली कला	1. भटौली कला (आंशिक) 2. भटौली कला खुर्द (आंशिक) 3. धर्मपुर (आंशिक) धर्मपुर व भूपनगर हदबस्त नं. 193)	कोष्ठ संख्या - 4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या 3 का शेष ग्राम, ग्राम सभा "थाना" में रहेंगे।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 9 जुलाई, 2025

संख्या: पी सी एच-एचए (1)3/2024-13107-13.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)3/2024-7330-37, दिनांक 17-06-2025 का अन्तर्गत, जिला सोलन में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सोलन को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश का राज्य पाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतहुए, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन सम्बन्धित निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने का सहर्ष आदेश प्रदान करतहैं। इन आदेशों का अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों का निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

क्र.सं.	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों / ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है।	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम / ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
विकास खंड कुनिहार :						
4.	संघोई	1. पकौटी 2. धार-पारली 3. धार-वारली 4. पांजण 5. संघोई 6. मलावण 7. व्यामला 8. पाहरा	1. पाहरा	मांगू	1. रौपी 2. मांगू 3. चौला 4. परपाल 5. पम्बिरा 6. कून 7. सोरिपा 8. पाहरा	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 का शेष ग्राम, ग्राम सभा "संघोई" में रहेंगे।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 5 जुलाई, 2025

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-13191-97.—उह कि विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-12-2024 का अंतर्गत नगर पंचायत भोरंज कागठन का फलस्वरूप जिला हमीरपुर, ग्राम सभा भोरंज का शेष पंचायत लहराना व लोहारवीं को साथ लगती ग्राम सभा खरवाड़ में शामिल किया गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में उक्त ग्रामवासियों को ग्राम सभा रौही में सम्मिलित करने सम्बन्धी पुनर्गठन प्रस्तावना विचाराधीन है।

अतः हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतहुए जिला हमीरपुर का ग्राम

सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करना प्रस्ताव करते हैं, और तथा अपक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करना। राज्या सरकार काई-राजपत्र में प्रकाशित करना और जिला हमीरपुर का उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करना तथा उन पर विचार करना।

अदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन का सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वह अपन आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना का जारी होना के दिनांक सप्तात (7) दिनों की अवधि का भीतर उपायुक्त जिला हमीरपुर को प्रस्तुत कर सकता। उपरोक्त निम्न अवधि का अवसान का पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे।

राज्य सरकार, जिला हमीरपुर का निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन का में अन्तिम अधिसूचना इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला हमीरपुर की सिफारिश का दृष्टिगत जारी करणी।

अनुसूची

क्र०.सं.	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों / ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम व मुख्यावास जिनमें कोष्ठ सं०-4 में वर्णित ग्राम / ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
1.	खरवाड़	1. ढोह 2. धमरोला 3. द्रोंण ब्राह्मणा 4. द्रोंण नुगराईपाँ 5. जख्योल 6. काज्वी 7. खरवाड़ 8. कोहलवी 9. लोहारवी (हदबस्त नं० 42/82) 10. रमेंपा 11. टिककर खरवाडिपाँ 12. लहराना 13. लोहारवी (हदबस्त नं० 44/86)	1. लहराना 2. लोहारवी (हदबस्त नं० 44/86)	रौही	1. पुंगरी 2. रौही 3. टकौता भट्टा 4. टकौता ब्राह्मणा 5. धिरवी 6. लहराना 7. लोहारवी (हदबस्त नं० 44/86)	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या 3 का शेष ग्राम, ग्राम सभा "खरवाड़" में रहेंगे।

आदशा द्वारा,

सचिव (पंचायती राज) ।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr
District Shimla (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Deepesh Mehta s/o Late Sh. Partap Singh Mehta, r/o V.P.O. Mashnoo, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

2. Smt. Shaina Parvez d/o Sh. Roshan Parvez, r/o Village Bhadram, P.O. Sarol, Tehsil & District Chamba (H.P.)
.. Applicants.

Versus

General Public

Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954 (Central Act 43 of 1954).

Whereas, the above named applicants have made an application of Special Marriage Act 1954 (Central Act 43 of 1954) alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 15-07-2014 at Arya Samaj Temple, Solan, Distt. Solan (H.P.).

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 4th day of July, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr
District Shimla (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Akhilesh Meena s/o Sh. Bheru Lal Meena, r/o House No. 6-B-4 New Housing Board Shastri Nagar Bhilwara, Rajasthan-311 001

2. Smt. Ritika d/o Sh. Amar Singh, r/o Village Odda, P.O. Khaneri, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.)-172 001
.. Applicants.

Versus

General Public

Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954 (Central Act 43 of 1954).

Whereas, the above named applicants have made an application of Special Marriage Act 1954 (Central Act 43 of 1954) alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 06-12-2023 at Village Odda, P.O. Khaneri, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 2nd day of July, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).*

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्री नजम दीन पुत्र श्री दुमण, निवास ग्राम तरशानू, डाकघर रूसलाह, तहसील नेरुवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश प्राथी ।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी ।

विषय.—प्राथी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे ।

प्राथी श्री नजम दीन पुत्र श्री दुमण, निवास ग्राम तरशानू, डाकघर रूसलाह, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्रों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, तथा प्राथी अब अपने पुत्रों का जन्म व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है,

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	तोफिक	पुत्र	10-10-2011
2.	तहिद	पुत्र	14-04-2013

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत रुसलाह को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 26-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कुश कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती डिम्पी पुत्री स्व० श्री चेत राम, निवास ग्राम रिंजट, डाकघर नेरुवा, तहसील नेरुवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्राथी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चन्दलोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती डिम्पी पुत्री स्व० श्री चेत राम, निवास ग्राम रिंजट, डाकघर नेरुवा, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चन्दलोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, तथा प्रार्थिया अब अपने पुत्र का जन्म व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चन्दलोग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है,

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	कुशल	पुत्र	10-04-2012

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्यदिवस

पर प्रातः 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत चन्दलोग को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 26-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कुश कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**In the Court of Shri Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H. P.)**

Sh. Bhoop Ram s/o Late Sh. Bali Ram, r/o Village Seri, P.O. Gumma, Tehsil Shimla Rural,
District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Respondent.

Whereas Sh. Bhoop Ram s/o Late Sh. Bali Ram, r/o Village Seri, P.O. Gumma, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of his Mother named—Late Smt. Bhadrui Devi w/o Late Sh. Bali Ram, r/o Village Seri, P.O. Gumma, Tehsil Shimla Rural, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Manju, Dabri Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the Applicant/Deceased	Relation	Date of Death
1.	Late Smt. Bhadrui Devi	Applicant Mother	15-12-1987

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of death of above named in the record of Registrar, Gram Panchayat Manju Dabri, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 09-07-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H. P.).

**In the Court of Shri Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Ms. Pushpa d/o Sh. Daya Ram, r/o V.P.O. Chailly, Tehsil & District Shimla, present address w/o Gopal r/o Batari, Tehsil Kotgarh, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Respondent.

Whereas Ms. Pushpa d/o Sh. Daya Ram, r/o V.P.O. Chailly, Tehsil & District Shimla, present address w/o Gopal r/o Batari, Tehsil Kotgarh, District Shimla, Himachal Pradesh has submitted an application alongwith Non-Availability Certificate issued by Registrar birth & death Gram Panchayat Chailly Shimla (H.P.) in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself as 05-04-1974 in the record of Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Chailly, Shimla (H.P.) details are as under.

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of birth
1.	Pushpa	Self	05-04-1974

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has any objection/claim regarding entry of date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth & Death Gram Panchayat Chailly Shimla (H.P.), he/she may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 08-07-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Ashok Kumar Sharma s/o Sh. Nika Ram, r/o Village Tharu, P.O. Deothi Majhgaon, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Moksh Sahzaik to Rihan Sahzaik. Please note all concerned for further.

ASHOK KUMAR SHARMA

*s/o Sh. Nika Ram,
r/o Village Tharu, P.O. Deothi Majhgaon,
Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Reenu Raj w/o Sh. Dhruv Raj, r/o Ward No. 9, V.P.O. Chowki Khalet, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176061 declare that I have changed my name from Reenu Aheer to Reenu Raj. Reenu Aheer and Reenu Raj is the same woman. All please note this.

REENU RAJ
w/o Sh. Dhruv Raj,
r/o Ward No. 9, V.P.O. Chowki Khalet,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Army No. 13745782A NK (TS) Narainder Singh Jhouta s/o Late Sh. Shiv Lal Jhouta, r/o Village & P.O. Dhar, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that my and my wife's name in my army service record have wrongly entered as Narain der Singh Jhauta and Jayanti Jhota, whereas my and my wife's correct name is Narainder Singh Jhouta and Jayanti Devi. All concerned note.

NARAINDER SINGH JHOUTA
s/o Late Sh. Shiv Lal Jhouta,
r/o Village & P.O. Dhar,
Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jagat Singh s/o Late Sh. Jau Ram, r/o Village Munish, P.O. Munish Bahali, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my son's name from Abhinav (Previous Name) to Avinav (New Name). All concerned please may note.

JAGAT SINGH
s/o Late Sh. Jau Ram,
r/o Village Munish, P.O. Munish Bahali,
Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Aslim s/o Sh. Mohammad Khurshid, r/o Village & P.O. Brauri, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Mohammad Aslim to Mohammad Aslam. Please note all concerned for further.

MOHAMMAD ASLIM
s/o Sh. Mohammad Khurshid,
r/o Village & P.O. Brauri,
Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tarun Chandra Kaundal s/o Sh. Shiv Ram, r/o C-49/6, 3rd Floor, G.N. No. 3, Near Krishana Mandir, Ganesh Nagar-2, Shakarpur, East Delhi-110092, presently residing at Village Uparla Baroh, Sub-Tehsil Krishangarh, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Tarun Chandra Kaundal to Tek Chand Kaundal. Please note all concerned for further.

TARUN CHANDRA KAUNDAL
*s/o Sh. Shiv Ram,
r/o C-49/6, 3rd Floor, G.N. No. 3,
Near Krishana Mandir, Ganesh Nagar-2,
Shakarpur, East Delhi-110092.
Presently Residing at Village Uparla Baroh,
Sub-Tehsil Krishangarh, District Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Luxmi Singh s/o Sh. Sudama Ram, r/o Village Rundun-Ghoron, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Luxmi Singh to Laxmi Singh. Please note all concerned for further.

LUXMI SINGH
*s/o Sh. Sudama Ram,
r/o Village Rundun-Ghoron,
P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Kamla Devi w/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Kothi, P.O. Gunagu Ghat, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Kamla Devi to Roshni. Please note all concerned for further.

KAMLA DEVI
*w/o Sh. Bhagat Ram,
r/o Village Kothi, P.O. Gunagu Ghat,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Aju Kumar s/o Sh. Bashir Khan and Smt. Nisha Devi, r/o Kotalta, P.O. Thor-Niwar, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Aju Kumar to Ajeej Muhamad. Please note all concerned for further.

AJU KUMAR
*s/o Sh. Bashir Khan and Smt. Nisha Devi,
r/o Kotalta, P.O. Thor-Niwar,
Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Kailasho Devi w/o Sh. Kali Charan, r/o Village Sadar Bazar Dagshai, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Kailasho Devi to Kilaso Devi. Please note all concerned for further.

KAILASHO DEVI
w/o Sh. Kali Charan,
r/o Village Sadar Bazar Dagshai,
Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhavneet Kaur Nagpal w/o Sh. Ramit Gupta & d/o Mangal Jeet Singh, r/o House No. 385/11, Purana Bazar Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Bhavneet Kaur Nagpal to Bhavneet as per record. All concerned please note.

BHAVNEET KAUR NAGPAL
w/o Sh. Ramit Gupta & d/o Mangal Jeet Singh,
r/o House No. 385/11, Purana Bazar,
Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanki Ram aged 79 years s/o Sh. Phinza Ram, r/o Village Nagehar Gabli, P.O. Nagehar, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.)-176128 declare that my name has been wrongly recorded in the Aadhar Card No. 7166 9164 7327 as Sonki Ram in place of Sanki Ram. Whereas my correct name is Sanki Ram. All concerned please may note.

SANKI RAM
s/o Sh. Phinza Ram,
r/o Village Nagehar Gabli, P.O. Nagehar,
Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sawitri w/o Sh. Shiv Ram, r/o Village Banahal, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Sawitri to Sheela. Please note all concerned for future.

SAWITRI
w/o Sh. Shiv Ram,
r/o Village Banahal,
Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Banti Thapa s/o Sh. Bir Bahadur, r/o Village Patrad, P.O. Kotla Nala, Rajgarh Road, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Banti Thapa to Maitaram B.K. Please note all concerned for future.

BANTI THAPA
s/o Sh. Bir Bahadur,
r/o Village Patrad, P.O. Kotla Nala,
Rajgarh Road, Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhupinder Singh s/o Sh. Ganga Ram, r/o Village Baur, P.O. Basadhar, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Bhupinder Singh to Bhopender Singh. Please note all concerned for future.

BHUPINDER SINGH
s/o Sh. Ganga Ram,
r/o Village Baur, P.O. Basadhar,
Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Karuna Sharma w/o Sh. Bhimeshwar, r/o Village & P.O. Bhumati, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Karuna Sharma to Kamlesh. Please note all concerned for future.

KARUNA SHARMA
w/o Sh. Bhimeshwar,
r/o Village & P.O. Bhumati,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 जुलाई, 2025

संख्या: जे.एस.वी.-बी.(ई.) 4-1/2024.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भराणू डा0 भराणू तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में पम्प हाऊस व पेयजल टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित

है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न पैरा-4 में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में समाहर्ता, लो0नि0 विभाग, विन्टर फील्ड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव/मौजा	खसरा नं०	क्षेत्र (रकबा हैक्टेयर में)
शिमला	नेरवा	भराणू	59/1	00-04-81
			कुल	00-04-81

आदेश द्वारा,

सचिव (जल शक्ति)।